पटना में दिनांक–25 मई, 2016 बुधवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(कारा)

1.	W.P (Crl.) No-48/2014 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम् वी० श्रीहरण उर्फ मुरूगन एवं अन्य वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–23.07.2015 एवं 02.12.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार कारा हस्तक, 2012 में संशोधन की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम–12 (1) के आलोक में बैंड वेतन–9300– 34,800/– +ग्रेड वेतन–4800/– में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारियों को अवर सचिव/समकक्ष कोटि के पद पर बैंड वेतन–15,600–39,100/– +ग्रेड वेतन– 6600/–में औपबंधिक प्रोन्नति देने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

3.	डा० चंद्रकिशोर प्रसाद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोखा, रोहतास को दिनांक– 11.12.2000 से लगातार पाँच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	3.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

4.	बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 में संशोधन के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5.	नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा–राजगीर, थाना नं०–485 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा–31.00 एकड़ (अनु०–I) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भूमि, जो राजस्व विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक–508 (6)/रा० दिनांक–27.06.14 के द्वारा राजगीर नगर निवेशन प्राधिकार से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हस्तान्तरित 103.305 एकड़ भूमि में सन्निहित है, राजगीर स्टेट हाउस भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6. लोअर किउल नदी घाटी सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण अंतर्गत कुंदर वीयर का बराज के रूप में परिवर्त्तन, दायां मुख नहर का लाईनिंग, नन्दनामा उपवितरणी का निर्माण एवं वितरण प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 8361.31 लाख रूपये (तेरासी करोड़ एकसठ लाख एकतीस हजार रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति। **6.** **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य जल पर्षद को स्थापना, अनुरक्षण, विद्युत व्यय इत्यादि हेतु गैर योजना अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹ 3900.00 लाख (उनचालीस करोड़ रू०) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **7.** **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. बेगूसराय जिलान्तर्गत मंसूरचक अंचल के मौजा–समसा, थाना सं०–263, खाता सं०–1123, खेसरा सं०– 2365, रकबा–0. 60 एकड़ किस्म गैरमजरूआ खास भूमि 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 9,500/–(नौ हजार पांच सौ) रू० प्रति डिसमिल की दर से 5,70,000/–(पांच लाख सत्तर हजार) रू० सलामी एवं सलामी का 2 प्रतिशत का 25 गुणा 2,85,000/–(दो लाख पचासी हजार) पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–8,55,000/–(आठ लाख पचपन हजार) रू० मात्र के भुगतान पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। **8.** **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. भागलपुर जिलान्तर्गत गोराडीह अंचल के मौजा–बिरनौध, थाना नं०–457, खाता सं०–319, खेसरा सं०–1139, रकबा–6 एकड़ धनहर गैरमजरूआ भूमि (अभिधारी–बिहार राज्यपाल), 9000/–रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से 54,00,000/–(चौवन लाख) रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 67,50,000/–(सड़सठ लाख पचास हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,21,50,000/–(एक करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार) रू० के भुगतान पर बिहार ग्रीड कम्पनी, पटना को विद्युत पावर ग्रीड निर्माण हेतु स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। **9.** **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. पटना जिलान्तर्गत बिहटा अंचल के मौजा–बिहटा, थाना नं०–47, खाता सं०–242, खेसरा सं०–88, रकबा–0. 1422 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि मेगा औद्योगिक पार्क बिहटा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी के निर्माणाधीन 220/132/33 के०वी० ग्रीड उपकेन्द्र तक सम्पर्क पथ निर्माण हेतु मो०–2,08,000/–(दो लाख आठ हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से मो०– 29,57,760/–(उनतीस लाख सनतावन हजार सात सौ साठ) रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक मो०–1,47,888/–(एक लाख सैंतालिस हजार आठ सौ अठासी) रू० का 25 गुणा मो०–36,97,200/–(छत्तीस लाख सनतानवे हजार दो सौ) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल मो०–66,54,960/–(छियासठ लाख चौवन हजार नौ सौ साठ) रू० के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. जहानाबाद जिलान्तर्गत अंचल मखदुमपुर के मौजा–सुल्तानपुर के थाना सं०–656, खाता सं०–382, खेसरा सं०–1203, रकबा–0.70 एकड़ गैर मजरूआ मालिक व्यवसायिक भूमि 75,000/–(पचहत्तर हजार) रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से 52,50,000/–(बावन लाख पचास हजार) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 65,62,500/–(पैंसठ लाख बासठ हजार पांच सौ) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,18,12,500/–(एक करोड़ अठारह लाख बारह हजार पांच सौ) रू० के भुगतान पर विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण। 11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. मुंगेर जिलान्तर्गत हवेली खड़गपुर अंचल के मौजा–रौनकाबाद, थाना नं०–382, खाता नं०–482, खेसरा नं०–3184, कुल रकबा–06.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक (जंगल) भूमि 220/132/33 के०वी० गैस इन्सुलेटेड आधारित ग्रीड सब–स्टेशन के निर्माण हेतु 58,80,000/–(अनठावन लाख अस्सी हजार) रूपए सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत व्यावसायिक लगान का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य 73,50,000/–(तिहत्तर लाख पचास हजार) रूपए सहित कुल–1,32,30,000/–(एक करोड़ बत्तीस लाख तीस हजार) रूपए के एकमुश्त भुगतान पर बिहार ग्रीड कम्पनी लिमिटेड, पटना को पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्रांक–207, दिनांक–15.04.15 (अनुलग्नक–I) में अंकित शर्त्तों के अधीन स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा अंचल के ग्राम–सुजावलपुर में 0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) भूमि (अनु०–I संलग्न), जो जल संसाधन विभाग की भूमि है, को 1250000/–रू० सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत आवासीय लगान का 25 गुणा अर्थात 625000/–रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–1875000/–रू० भूमि मूल्य तथा 493337/–रू० निर्मित संरचना का मूल्य सहित कुल रू० 2368337/–(तेईस लाख अड़सठ हजार तीन सौ सैंतीस) रू० के एकमुश्त भुगतान पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

14.	बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 30000000/–(तीन करोड़ रू०) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	14.	स्वीकृत।